संख्या- 57/2018/915 /बावन-1-2018-21(बजट)/18

प्रेषक,

हरी राम,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल,2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डलीय एवं जिला कार्यालय हेतु राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-46/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/2018-2019, दिनांक 05.04.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डलीय एवं जिला कार्यालय हेतु अनुदान संख्या- 48 के मानक मद-04 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

04-मण्डलीय/जिला कार्यालय –

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2018-19 का बजट प्राविधान	वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	01-वेतन	1026.51	1026.51
2	02-मजदूरी	2.00	2.00
3	03-मंहगाई भत्ता	102.65	102.65
4	04-यात्रा-व्यय	4.50	4.50
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	1.45	1.45
6	06-अन्य भत्ते	47.38	47.38
7	07-मानदेय	52.30	52.30
8	08-कार्यालय-व्यय	34.00	34.00
9	09-विद्युत देय	5.50	5.50
10	10-जलकर/जल प्रभार	0.00	0.00
11	11-लेखन सामग्री	26.00	26.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर	6.75	6.75
13	13-टेलीफोन पर व्यय	9.30	9.30

http://shasanadesh.up.nic.in

UniCode Gov. Inter College. G.O

14	14-वाहनों का क्रय	0.00	0.00
15	15-वाहनों का अनुरक्षण	20.50	20.50
16	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	20.50	20.50
17	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	4.00	4.00
18	42-अन्य व्यय	35.00	35.00
19	44-प्रशिक्षण व्यय	0.20	0.20
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.10	1.10
21	46-कम्प्यूटर हा0सा0क्रय	6.00	6.00
22	47-कम्प्यूटर स्टेशनरी अनु0	11.00	11.00
23	49-चिकित्सा व्यय	4.00	4.00
24	51-वर्दी व्यय	0.40	0.40
25	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	78.96	78.96
	योग	**1500.00**	**1500.00**

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- मण्डलीय तथा जिला कार्यालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-915 (1)/बावन-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(ई-11) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
5- सम्बन्धित सहायक।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in